निदेशालय,
गृह रक्षा,राजस्थान

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612592, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.comWebsite
http://home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांकः–गृरमु / प्रशि / टी–1(पॉलिसी)2020–21 / 27627-74 दिनांकः 8/9/202

स्थाई आदेश संख्या–17 / 2020

गृह रक्षा स्वयंसेवक अन्तर्जिला स्थानान्तरण

गृह रक्षा स्वयंसेवकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के संबधं में कोई स्थाई नीति नहीं होने एवं समस्त जिला इकाई स्तर पर स्वयंसेवकों के अंतर्जिला स्थानांतरण में एकरूपता बनाए रखने के लिए तत्संबंधी सभी परिपत्र / निर्देशों का व्यतिक्रमण करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. गृह रक्षा एवं सीमा गृह रक्षा दल स्वयंसेवकों के अंतर्जिला स्थानांतरण महानिदेशक, गृह रक्षा की अनुमति से ही किये जायेंगे ।
2. निदेशालय द्वारा स्वयंसेवकों के स्थानांतरण संबंधी आदेश प्रत्येक छः माह पश्चात् अर्थात प्रथम आदेश जनवरी में एवं द्वितीय आदेश जुलाई माह में जारी किये जायेंगे । अतः समस्त जिला इकाईयों द्वारा इच्छुक स्वयंसेवकों से प्राप्त आवेदन पत्र 10 दिसम्बर तक एवं 10 जून तक संकलित कर निदेशालय को भिजवाये जायेंगे।
3. चुनाव ड्यूटियों एवं आपातकालीन परिस्थितियों में स्थानांतरण प्रक्रिया स्थगित रखी जायेगी ।
4. इकाई विशेष में पद रिक्त होने की स्थिति में ही वांछित इकाई में स्वयंसेवकों का **अन्तर्जिला** स्थानांतरण किया जाना संभव होगा ।
5. स्वयंसेवक के प्रथम नामांकन के 05 वर्ष पूरे होने तक स्थानांतरण नहीं किया जायेगा ।
6. एक बार स्थानांतरण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक पुनः स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. समस्त समादेष्टा स्वयंसेवकों के रिक्त पदों की स्थिति के आधार पर उनके अधीन उपकेन्द्रों से जिला केन्द्र में निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानांतरण करने के लिए सक्षम होगेः–
   (i) किसी सरकारी / गैरसरकारी संस्थान में कार्यरत हो जाता है या नौकरी करने लगता है, तो संबंधित विभाग / प्रबंधक से पुष्टि प्राप्त होने पर ।
   (ii) उस केन्द्र पर स्थाई रूप से निवास करने लग जाता है तो उस सदस्य का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ।
   (iii) किसी ग्रामीण क्षेत्र के नगर परिषद सीमा में आ जाने पर ।
8. शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा के स्वयंसेवकों का सीमा गृह रक्षा दल में स्थानांतरण नहीं किया जायेगा । इसी प्रकार सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों का स्थानांतरण शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा दल में नहीं किया जायेगा ।
9. सीमा गृह रक्षा दल की एक बटालियन से दूसरी बटालियन में स्थानांतरण किया जा सकेगा।
10. ऑनरेरी रेंक होल्डर स्वयंसेवक का स्थानांतरण होने पर वह नवीन स्थानांतरित इकाई में समान पद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।

08/09/2020

11. **दस्तावेज (Docements)** :– स्थानांतरण के इच्छुक स्वयंसेवक द्वारा स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र के साथ जिस जिले में स्थानांतरण चाहा गया है, उस स्थान से संबंधित निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें :–

(i) निवास दस्तावेज / किरायानामा ।

(ii) वोटर आई.कार्ड ।

(iii) आधार कार्ड ।

(iv) पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट ।

12. **स्थानांतरण प्रकिया (Transfer Procedure) :–**

(i) स्वयंसेवकों द्वारा स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना–पत्र उनके वर्तमान जिला / बटालियन कमाण्डेंट के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(ii) सम्बन्धित जिला / बटालियन कमाण्डेंट, स्वयंसेवकों से प्राप्त प्रार्थना–पत्र व दस्तावेजों (बिंदु 11 में वर्णित) की पूर्ण जांच करने के उपरांत स्वयंसेवक के रिकार्ड अनुसार चाल–चलन, कार्यशैली, अनुशासन आदि पर टिप्पणी करते हुए निदेशालय को **प्रपत्र 'अ'** में अपनी अनुशंषा रिपोर्ट भिजवायेंगे ।

(iii) स्वयंसेवक द्वारा जिस जिले में स्थानांतरण चाहा गया है, उस जिले के कमाण्डेंट से निदेशालय स्तर से रिपोर्ट चाहे जाने पर संबंधित कमाण्डेंट द्वारा 15 दिवस के भीतर स्वयंसेवक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं निवास स्थान का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की जायेगी ।

(iv) जिला / बटालियन कमाण्डेन्टों से प्राप्त अनुशंषा एवं जांच रिपोर्ट की विवेचना उपरांत महानिदेशक,गृह रक्षा,राजस्थान द्वारा स्वयंसेवकों के स्थानांतरण आदेश जारी किये जायेंगे।

(v) स्थानांतरण आदेश जारी किये जाने के उपरांत 15 दिवस के भीतर स्वयंसेवक नवीन स्थान पर अपनी उपस्थिति देंगे तथा संबंधित इकाई स्वयंसेवक की निजी पत्रावली विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति कर आवश्यक दस्तावेजों सहित नवीन जिले में 15 दिवस के भीतर स्थानांतरित की जायेगी ।

(vi) स्वयंसेवक की निजी पत्रावली प्राप्ति के 07 दिवस में संबंधित कमाण्डेंट द्वारा स्वयंसेवक को नवीन बैल्ट नम्बर आदि आवंटित कर निदेशालय को अवगत कराना होगा ।

यह स्थाई आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

(राजीव दासोत ,IPS)
महानिदेशक,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति.महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. महानिरीक्षक,गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा,राजस्थान, जयपुर ।
4. उप महासमादेष्टा, प्रथम / द्वितीय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. सीनियर स्टाफ ऑफिसर, प्रथम / द्वितीय, गृह रक्षा, मुख्यालय राजस्थान,जयपुर ।
7. उप समादेष्टा,गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान ।
9. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान ।
10. समस्त उप समादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान ।
11. प्रभारी विभागीय वेबसाइट, निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
12. गार्ड पत्रावली ।

08/9/2020

महानिदेशक,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

प्रपत्र 'अ'

समादेष्टा /गण समादेष्टा द्वारा स्वयं सेवक का स्थानांतरण करने सम्बन्धी अनुशंसा रिपोर्ट

1. नाम स्वयं सेवक :————————पुत्र श्री————————————
2. सदस्य संख्या :————————————————————
3. मोबाईल नं0 :————————————————————
4. वर्तमान में नफरी पर है/नहीं है :————————————————
5. प्रथम नांमाकन तिथि व जिला : ——————————————
6. आनरोल अवधि :——————————————————
7. नवीनीकरण अवधि :—————————————————
8. कार्य के प्रति रूचि/अनुशासन : ——————————————
9. चाल–चलन/कार्यशैली : ————————————————
10. स्वयं सेवक राजकीय सेवा में है/ नहीं है :————————————
11. स्थानांतरण के कारणों की अपने स्तर जांच कर पुष्टि रिपोर्ट : ——————
12. विगत 5 वर्षो में स्थानांतरण (यदि हुआ है) : ——————————
13. स्थानांतरण किये जाने की स्पष्ट अनुशंसा :————————————
14. अन्य विशेष विवरण :——————————————————

08/9/2020

समादेष्टा/गण समादेष्टा
गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/सीमा गृह
रक्षा दल.....................................